झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–144 / 2019

प्रकाश साव .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. शांति प्रिया चंद्रा
2. सुप्रिया चंद्रा ..... विपक्षी पार्टियाँ

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री लुकेश कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टियों के लिए :

05 / दिनांकः07 / 02 / 2020

यह याचिका अपनी मूल फाइल द्वितीय अपील संख्या 42 / 2017 की पुनःस्थापन के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 18.09.2018 के आदेश के अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि वादी–मकान मालिक द्वारा किराए के घर से वर्तमान याचिकाकर्त्ता को बेदखल करने और किराए के बकाया के लिए एक स्वत्व (एविक्शन) सूट संख्या 7 / 2005 दायर किया है।

ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट मंतव्य दी है कि दोनों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध है और किराए का बकाया देय है। तद्नुसार, वर्तमान याचिकाकर्त्ता के खिलाफ मुकदमा डिक्री कर दिया गया है।

क्षुब्ध होने के कारण, वर्तमान याचिकाकर्त्ता–किरायेदार ने स्वत्व अपील संख्या 89 / 2013 दाखिल की थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया था।

उपरोक्त अपील के खिलाफ, द्वितीय अपील सं0–42 / 2017 दिनांक 27.01.2017 को दायर किया गया है, लेकिन वह भी बिना आवश्यक अदालत शुल्क का भुगतान किए ही दायर किया गया है और तद्नुसार, द्वितीय अपील को लॉजिमा बोर्ड के समक्ष दो बार दिनांक 15.02.2017 एवं दिनांक 09. 03.2017 को रखा गया, लेकिन अपीलकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता लॉजिमा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान करने हेतु अवसर दिया गया है। अंततः मामले को बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और दिनांक 16.08.2018 को पारित आदेश के द्वारा शेष अदालत शुल्क के भुगतान के लिए दो सप्ताह का और समय दिया गया था। इसके बाद, मामला 18.09.2018 को सूचीबद्ध किया गया था और अनुरोध पर, त्रुटि को दूर करने का

अवसर दिया गया था और यह आदेश दिया गया था कि यदि पूरे दिन के दौरान त्रुटि को दूर नहीं किया जाता है, तो अपील को आगे बेंच को संदर्भित किये बिना खारिज कर दिया जाएगा।

वर्तमान सी0एम0पी0, जो दिनांक 07.02.2019 को दायर किया गया था, यह त्रुटिपूर्ण है और मामले को लॉजिमा बोर्ड के सामने दो बार दिनांक 12.06.2019 एवं 23.10.2019 को रखा गया है।

याचिकाकर्त्ता को फिर से अवसर दिया गया है। त्रुटि दूर नहीं करने के कारण, मामले को बेंच के समक्ष रखा गया है। दिनांक 10.01.2020 के आदेश द्वारा पुनः समय दिया गया है और उसके बाद केवल त्रुटि को दूर कर दिया गया है।

इस याचिका को दाखिल करने में हुई 128 दिनों की देरी के लिए आई0ए0 सं0–572/2020 दायर किया गया है। बिलम्ब की माफी हेतु कारण यह बताया गया है कि याचिकाकर्त्ता को संबंधित वकील द्वारा अपील को खारिज करने के बारे में सूचित नहीं किया गया है। एक और आधार यह बताया गया कि याचिकाकर्त्ता एक देहाती ग्रामीण है और उसे कानून का कोई ज्ञान नहीं है और इस तरह की देरी हुई है।

इस प्रकार, ऊपर वर्णित तथ्यों के अनुक्रम से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान याचिकाकर्त्ता केवल विवाद को जीवित रखने और विवाद को हल न करने में रूचि रखता है। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्देशों के बावजूद अदालत शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और यहाँ तक कि पुनःस्थापन याचिका भी चार महीने के बाद दर्ज की गई है।

उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, बिलम्ब हेतु कोई युक्तियुक्त कारण और पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, तद्नुसार, आई0ए0 सं0–572/2020 को एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। नतीजतन, यह सी0एम0पी0 भी खारिज हो गया।

(राजेश कुमार, न्याया0)